© बैंक चेरुपा/ अमेरिकी विदेश विभाग

मानव तस्करी अब सहन नहीं

राजदूत मार्क पी. लागोन की रिपोर्ट के चुनिंदा अंश

मानवीय गरिमा के प्रति प्रतिबद्धता मानव तस्करी खत्म कराने के अमेरिकी प्रयासों के मूल में है। प्रतिदिन पूरी दुनिया में लोगों को बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर किया जाता है, वेश्यावृत्ति के लिए खरीदा-बेचा जाता है, घरेलू कामकाज के लिए शोषण किया जाता है, खेतों और कारखानों में गुलामों की तरह काम लिया जाता है और उन्हें पकड़कर गैरकानूनी रूप से बाल सिपाहियों की तरह काम कराया जाता है। ऐसे लोगों की संख्या के बारे में अनुमानों में अंतर है। अमेरिकी सरकार के अनुमानों के मुताबिक हर साल दुनिया में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर लगभग आठ लाख लोगों की गैरकानूनी तरीके से तस्करी की जाती है। इनमें लगभग 80 फ़ीसदी महिलाएं होती हैं और आधे लोग अवयस्क होते हैं। और इन आंकड़ों में वे लाखों लोग शामिल नहीं हैं जिनकी देश की सीमाओं के भीतर ही मज़दूरी और यौन शेषण के लिए तस्करी की जाती है।

रिपोर्ट का तानाबाना और इसका उद्देश्य ज़्यादातर इस बात पर केंद्रित है कि विश्व का ध्यान आधुनिक गुलामी के अस्तित्व की ओर दिलाया जाए जिससे कि एक सदी पहले अफ्रीका के गुलामों के व्यापार की तरह इसे भी दुनिया से खत्म किया जा सके। तस्करी से अमेरिका सहित दुनिया का हर देश किसी न किसी रूप में प्रभावित है। रिपोर्ट में 164 देश और क्षेत्र शामिल हैं जो दुनिया का 85 फ़ीसदी हिस्सा हैं। इसमें ऐसे 151 देशों और क्षेत्रों की रैंकिंग की गई है जहां मानव तस्करी के सौ से ज़्यादा मामले दर्ज़ किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि ये देश मानव तस्करी में शामिल लोगों पर मुकदमे चलाने, ऐसी घटनाओं को रोकने और संरक्षण के लिए क्या कर रहे हैं और इन तीनों मोर्चों पर अमेरिका और अन्य देश मिलकर क्या कर सकते हैं।

अमेरिकी सरकार अन्य देशों के साथ मिलकर इस मोर्चे पर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। रिपोर्ट में उल्लिखित समस्याओं को खत्म करने के लिए पूरे साल द्विपक्षीय स्तर पर राजनयिक संपर्क की प्रक्रिया जारी रहती है। सिर्फ इस सीजन में नहीं जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं। इस रिपोर्ट के लिए हमारे सूचना स्रोतों में पूरी दुनिया में स्थित अमेरिकी दूतावास, गैरसरकारी संगठन, मानव तस्करी से लड़ने वाले बहादुर सामाजिक कार्यकर्ता, विदेश कानून पर अमल कराने वाले विदेशी अधिकारी और कर्मचारियों की यात्राएं शामिल हैं। कांग्रेस द्वारा कानून में में उल्लिखित तौर-तरीकों के आधार पर विस्तृत विश्लेषण कर देशों को श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 2 निगरानी सूची और श्रेणी 3 में रखा गया है।

यदि किसी देश की सरकार मानव तस्करी को रोकने के लिए ठोस प्रयास नहीं कर रही है तो उसे श्रेणी 3 में रखा जाता है। यदि अगले 90 दिन में ऐसा देश गुलामी को रोकने के लिए गंभीर कदम नहीं उठाता है तो उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। खेद है कि इस बार श्रेणी तीन में शामिल देशों की सूची बड़ी हो गई है क्योंकि इन देशों की सरकारों ने अपनी देश की सीमाओं पर होने वाले गंभीर अपराधों के मामले में भी सही कदम नहीं उठाए। श्रेणी 3 में कुल 16 देश हैं। इनमें से सात इस साल श्रेणी 3 में पहुंच गए हैं: ये हैं, अल्जीरिया, बहरीन, कुवैत, मलयेशिया, ओमान और कतार।

यह खास तौर पर निराशाजनक बात है कि निकट पूर्व के बहुत से संपन्न देश श्रेणी 3 में हैं जिनके पास इस मामले में अहम प्रगति के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी नहीं है। उदाहरण के लिए तीसरे साल सऊदी अरब श्रेणी 3 में है। ये देश उन क्षेत्रों में हैं जो बड़े पैमाने पर मजदूरी के लिए विदेशी आप्रवासी मजदूरों पर निर्भर हैं। स्पांसरशिप जैसे कानून ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं जिससे मेहमान कामगार इस क्षेत्र में खरीदने-बेचने के शिकार हो सकते हैं।

स्पांसरशिप कानून रोजगारदाताओं को अपने कामगारों पर व्यापक निजी अधिकार दे देते हैं जो उनके आने-जाने और कानूनी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसे मामले हैं जब घरों और कार्यस्थलों पर यातना के शिकार कामगार भाग गए हों। ये लोग भागकर पुलिस के पास जाते हैं लेकिन यदि रोजगारदाता उन्हें देश छोड़कर जाने का परमिट नहीं देता तो शोषण के शिकार कामगार को या तो बंधक बनकर रहना पड़ता है या फिर पुलिस कारागार में और कई बार ऐसा सालों तक चलता है। विदेशी कामगारों पर रोजगारदाताओं के अधिकार सीमित होने चाहिएं और इनका कामगारों की कानून तक पहुंच के जरिये संतुलन होना चाहिए। कामगारों के संरक्षण में गंतव्य देशों की सरकारों को ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए।

इस समय 32 देश श्रेणी 2 निगरानी सूची में हैं। पिछले साल भी इस सूची में इतने ही देश थे। श्रेणी 2 निगरानी सूची को चेतावनी के रूप में लिया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश श्रेणी 2 निगरानी सूची के बहुत से प्रमुख देशों ने साल दर साल इस चेतावनी को नजरंदाज किया है। भारत, मेक्सिको और रूस लगातार चौथे साल श्रेणी 2 निगरानी सूची में हैं। आर्मेनिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका लगातार तीसरे साल श्रेणी 2 निगरानी सूची में हैं। श्रेणी 3 और श्रेणी 2 निगरानी सूची के देशों के लिए अमेरिका ने लघुकालीन कार्ययोजना बनाई है जिसके जरिये वे अपनी द्विपक्षीय प्रतिबद्धता जाहिर कर सकते हैं और स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विशेष कदम उठा सकते हैं। निगरानी सूची की श्रेणी उन सरकारों के लिए पार्किंग की जगह की तरह नहीं हैं जिनमें अपने यहां शोषण और गुलामी को रोकने के लिए दिलचस्पी की कमी है। हम इन देशों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं और इनके द्वारा अपनी सीमाओं में इस तरह के शोषण को खत्म करने के लिए उठाए जाने वाले प्रयासों में समर्थन को तैयार हैं।

लड़कियां और भोली-भाली महिलाएं अक्सर प्रलोभन के जरिये या अपहरण करके सेक्स उद्योग का हिस्सा बना दी जाती हैं। वेश्यावृत्ति और सेक्स तस्करी के बीच संबंध पर विवाद नहीं है। इसलिए हमें ज़्यादा रचनात्मकता और प्रतिबद्धता के साथ शिकार लोगों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। वेश्यावृत्ति ऐसा अपराध नहीं है जिसका कोई शिकार नहीं है। यह मेक्सिको से माल्टा तक, तेल अवीव से टोक्यो तक, अल्बानी, न्यू यॉर्क से अबुजा, नाइजीरिया तक लोगों की जिंदगियां बर्बाद करता है। मानव तस्करी में यौन शोषण के लिए गुलामी विशेष तौर पर विकृत रूप में है। रिपोर्ट में अमेरिकी कार्यक्रमों की मदद से बचे लोगों की

कहानियां शामिल हैं जो निर्दोष लोगों को बचाने और उन्हें पुनर्वासित करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को जाहिर करती हैं।

वर्ष 2007 की रिपोर्ट के कुछ मुख्य रुझानों के बारे में आपको बताता हूं। कर्ज का इस्तेमाल लोगों पर जोर-जबर्दस्ती करने में किया जाता है और कानून के शासन को मजबूत के क्रम में प्रगति अवरुद्ध की जाती है। पहली बात तो यह है कि चाहे मजदूरी का मामला हो या यौन शोषण का, गैरकानूनी या अवैध कर्ज का इस्तेमाल लोगों को गुलामी के लिए मजबूर करने के लिए किया जाता है। तस्करी के काम में लिप्त लोगों द्वारा इस कर्ज को जोर-जबर्दस्ती के लिए इस्तेमाल कियास जता है। यह किस तरह से काम करता है? लोगों को दूसरे देशों में काम करने के लिए प्रलोभन दिया जाता है। इसके लिए रोजगार देने वाली एजेंसी को उसकी सेवाओं के लिए बड़ी धनराशि चुकानी होती है। या फिर रोजगार देने वाले को ही सीधे धनराशि देनी होती है।

इस फीस को चुकता करने के लिए कामगार अपने रिश्तेदारों या मित्रों से उधार लेते हैं या फिर अपनी संपत्ति गिरवी रख देते हैं। कई बार रोजगार वाली जगह पर और कर्ज पर भी हो जाता है। कमरे और उपकरण का अनुमान से ज़्यादा किराया। कई बार ऐसी परिवहन फीस चुकता करनी पड़ जाती है जिसका कोई अनुमान नहीं था। कर्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है लेकिन कामगार सालों तक इसे चुकता करने की कोशिश में लगे रहते हैं। यह कर्ज उन्हें बंधक बनाए रखने में अप्रत्यक्ष ताकत के तौर पर काम करता है। लेकिन यह अक्सर दिखता नहीं है और आपराधिक जांच करने वाले इस पहलू की तरफ ध्यान नहीं देते। मानव तस्करी हो या वेश्यावृत्ति, अब हम इस बात के प्रति ज़्यादा जागरूक हैं कि कर्ज का इस्तेमाल लोगों को नियंत्रण में रखने और उन पर जोर-जबर्दस्ती के लिए किया जाता है। वेश्यालयों के मालिकों द्वारा किराये, खाने, दवाओं और यहां तक कि कंडोम के लिए वसूल की जाने वाली रोजमर्रा की फीस, ऐसा भार बन सकती है जिससे बचना संभव नहीं और जो कर्ज बंधक के रूप में सामने आती है और यह एक तरह की मानव तस्करी ही है।

एक दूसरा रुझान वर्ष 2007 की रिपोर्ट में यह है कि कानून के शासन के महत्वपूर्ण मोर्चे पर प्रगति अवरुद्ध हो गई लगती है। लोकतंत्र और कानून का शासन, दो ऐसे पहलू हैं जो मानव तस्करी के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण हैं। दूसरी तरफ मानव तस्करी से संघर्ष दुनियाभर में लोकतंत्र के भविष्य के लिए ज़रूरी है क्योंकि दुनिया की आधी आबादी महिलाओं को खामोश रखने के लिए तस्करी सर्वाधिक बर्बर तरीका है। कानून के शासन के मोर्चे पर प्रगति में अभाव का कारण एक ओर सरकारी भ्रष्टाचार और साठगांठ है तो दूसरी और उपेक्षा का माहौल। ये सक्रिय और निष्क्रिय कारक लोगों में ज़्यादा जागरूकता और दुनियाभर में गैरसरकारी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की असाधारण बहादुरी के बावजूद इस बुराई को जारी रखने में मददगार साबित होते हैं।

आपको मानव तस्करी में अधिकारियों की मिलीभगत के बारे में हाल का एक उदाहरण देते हुए मेरा दिल दुखी हो रहा है। इस रिपोर्ट में रोशनी में लाए गए एक नायक भारतीय गैरसरकारी संगठन बचपन बचाओ आंदोलन यानी बीबीए के कैलाश सत्यार्थी हैं। उन्होंने भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्वर्ण आभूषण बनाने के कारखानों से 92 बंगाली बच्चों को गुलामी से छुड़ाया। बच्चों को वर्कशॉप में खाना, सोना और काम करना होता था। एक कमरे में दस बच्चे। सोने के आभूषण बनाने में खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल किया जाता था लेकिन बच्चों को 24 घंटे उन्हीं कमरों में रखा जाता था। ज़्यादातर बच्चे 14 साल से कम उम्र के थे। बच्चों के अनुसार उनमें से बहुत को शारीररिक यातनाएं दी गईं और यौन शोषण किया गया। इस घटना के कई दिन बाद तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।

रिपोर्ट का मकसद किसी को दंडित करना नहीं है। इसका मकसद अमेरिका के साथ मिलकर सरकारों को इस आधुनिक गुलामी की प्रथा को खत्म करवाने के लिए प्रेरित करना है और उन लोगों का हौसला बढ़ाना है जो पीड़ित लोगों को दुख से उबारने के लिए नायक बने हुए हैं।

विदेश मंत्री कोंडोलीज़ा राइस 12 जून को मानव तस्करी पर रिपोर्ट जारी करते हुए।

जैनी सादुस्य/ अमेरिकी विदेश विभाग

मानव तस्करी के बारे में जागरूकता बढ़ी

एरिक ग्रीन

अमेरिका की विदेश मंत्री कोंडोलीज़ा राइस का कहना है कि मानव तस्करी के मोर्चे पर जागरूकता बढ़ाने के अमेरिकी प्रयासों के नतीज़े मिल रहे हैं और अब दुनियाभर में करोड़ों और लोग इस समस्या के बारे में जानते हैं। मानव तस्करी के बारे में विदेश विभाग की सातवीं वार्षिक रिपोर्ट को जारी करने के मौके पर उन्होंने कहा, ''मानव तस्करी का मसला अब तक विश्व परिवार में एक छिपी चीज़ की तरह था और इसके बारे में सार्वजनिक तौर पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी।'' उनके अनुसार पूरी दुनिया में अब हमारे भागीदार इस समस्या से निपटने और पीड़ित लोगों को बचाने के लिए के लिए ज़्यादा इच्छुक नज़र आ रहे हैं। उनके अनुसार अमेरिका इस मसले पर विश्वव्यापी अभियान में मदद कर रहा है, सिर्फ इस समस्या का सामना करने के लिए नहीं, बकि इसे खत्म करवाने के लिए। ''अब ज़्यादा से ज़्यादा देश मानव तस्करी की वास्तविकता को समझ रहे हैं- आधुनिक गुलामी प्रथा जिसमें पूरी दुनिया में परिवारों और समुदायों की बर्बादी होती है।''

मानव तस्करी पर विदेश विभाग के कार्यालय के नए निदेशक मार्क लागोन ने 236 पृष्ठों की रिपोर्ट में जॉर्जिया का विशेष रूप से उल्लेख किया है। उनके अनुसार जॉर्जिया ने इस समस्या से निपटने के लिए प्रशंसनीय राजनीतिक प्रतिबद्धता दिखाई है।

लागोन ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में मानव तस्करी की बड़ी समस्या है लेकिन इसके बावजूद इसकी श्रेणी को नीचे घटाकर श्रेणी 3 नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इस मोर्चे पर भारत के साथ गंभीरता के साथ बातचीत करने की ज़रूरत है। उनके अनुसार अमेरिका-भारत के बीच रिश्ता इस तरह का है कि बंधुआ मजदूरी और सेक्स के लिए मानव तस्करी के मसले पर गंभीरता के साथ खुलकर बात हो सकती है।

रिपोर्ट में अमेरिका में मानव तस्करी की समस्या को भी दर्ज़ किया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को मानव तस्करी की समस्या पर एक सहयोगी देश के रूप में देखा जाना चाहिए। वित्त वर्ष 2006 में अमेरिका ने 70 देशों में मानव तस्करी पर रोक से जुड़ी 174 अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए 740 लाख डॉलर की धनराशि दी।